An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Paper
Research Link - 159, Vol - XVI (4), June - 2017, Page No. 135-137
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

# Remand : Rights of Accused in Light of Rulings of Hon'ble Supreme Court of India

***In the case of all law enforcement in India, the right of the underprivileged always becomes harder to protect. The provisions of section 167(b) Cr.P.C extends to allowing the person bail if there isn't sufficient cause to hold him in custody. It becomes clear that the while the law provides for safeguards against abuse, it need to be amended to remove all obscurities and contradiction. The magistrates must also see to the background of the victims before passing orders. Section 167 must also be expanded so that remedies must be available for past illegal detentions or arrest even if in the present case custody is legal. Lastly, the executive must also play a role by ensuring that more and more people are aware of their right.***

ABHINAV DAHARIYA

## Introduction :

Remand or pre-trial detention or provisional detention is the process of keeping a person who has been arrested in custody before conviction.

It is often the case when the police arrest a person in suspicion of a crime they are unable to complete the investigation in 24 hours. At this juncture when they require the accused or suspect to be kept away from society at large for the protection of society, of the accused or for the purpose of ensuring his availability for investigation, they may produce him before a magistrate, who may allow for the suspect to be held in the custody of the police or the judiciary.

Section 167 of the Code allows that a person may be held in the custody of the police for a period of 15 days on the orders of a magistrate. A judicial magistrate may remand a person to any form of custody extending up to 15 days and an executive magistrate may order for a period of custody extending up to 7 days. A person may be held in the custody of the police or in judicial custody. Police custody may extend only up to a period of 15 days from the date custody begins but judicial custody may extend to a period of 90 days for a crime which entails a punishment of death, life imprisonment or period of imprisonment exceeding 10 years and 60 days for all other crimes if the magistrate is convinced that sufficient reasons exists, following which the accused must be released on bail.

**Remand : Right of Accused in Various Contingencies :**

**(1) Right to be produced before magistrate within 24 Hours :** In Central Bureau of Investigation, Special Investigation Cell-I, New Delhi v.Anupam J.Kulkarni It is the right of the accused that he is brought before a magistrate within 24 hours of arrest, excluding the time taken in transportation from the place of custody to the magistrate. If no judicial magistrate is immediately available then he may be taken before an executive magistrate who can remand him to custody for a maximum of 7 days following which he must be taken before a judicial magistratethe question regarding arrest & detention in custody was dealt with it was held that the magistrate under S.167(2) can authorise the detention of the accused in such custody as he thinks fit but it should not exceed fifteen days in the whole. Therefore the custody initially should not exceed fifteen days in the whole.

**(2) Right to bail for not filing chargesheet due to incomplete investigation within 60/90 days :** In Hitendra Vishnu Thakur V State Of Maharashtra AIR1994 SC 2623 Hon'ble Apex Court held that if investigation ageny fails to file chargesheet before expiry of 60/90 days, the accused should be released on bail u/s 167 (2) Cr.P.C 1973.

**(3)** Once an accused is released on bail u/s 167 (2)Cr.P.C. and when charge-sheet is filed, whether the bail granted under proviso (a) to section 167 (2)Cr P.C. could be cancelled ? No

The Honlble Supreme Court, in Aslam Babalal Desai V. State of Maharashtra[(1)], held that "once an accused is released on bail under Section 167 (2) he cannot be taken back in the custody merely on the filing of a Charge-Sheet". Above principle is the last word to release the accused on bail u/s 167(2) Cr.P.C. if the investigation is not completed within 60/90 days as the case may be. This case is followed in the case of Uday Mohan Lal Acharya Vs. State of

*Advocate, Chhattisgarh High Court, Chhattisgarh*

Maharashtra[2] The detailed proposition of law laid down by the Supreme Court in the case of Uday Mohanlal Acharya is as follows :

Under Sub-Section(2) 167 of Cr.P.C. Magistrate before whom an accused is produced whilethe Police is investigating the offence can authorise detention of the accused for a term not exceeding fifteen days on the whole.

Under proviso to Section 167 (2)of Cr. P.C. The Magistrate may authorise detention of the accused otherwise than in custody of police for a total period not exceeding ninety days wherethe investigation relates to offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term ofnot less than ten years,and sixty days where the investigation relates to any other offence.

On Expiry of the period of ninety days or sixty days, accused be released on bail on account of default of the investigating agency in the completion of investigation within the period prescribed and the accused is entitled to be released on bail, if he is prepared to and furnished the bail as directed by the Magistrate.

Where an application for bail is filed by an accused for enforcement of his indefeasibleright on account of default of the investigating agencyin completion of investigation within the specified period, the Magistrate/Court must dispose of the said application forthwith onbeing satisfied that in factthe accused has been incustody for the period of ninety days of sixty days and no charge-sheet has been filed by the investigating agency.

If the accused is unable to furnish the bail as directed by the Magistrate, then on a conjoint reading of explanation I and the proviso to sub section (2) of Section 167 of Cr.P.C., the continuedcustody of the accusedeven beyond the specified period in para (a) will not be unauthorised, therefore, if during that period the investigation iscompleted and the charge-sheet is filed then the socalled indefeasible right of the accused would stand extinguished.

**Other Aspects Concerning Remand :**

**(1) Whether order relating to issue of process can be recalled by the Magistrate ?** No.

Adalat Prasad Vs. Rooplal Jindal[3] which case laid down that once cognizance of the offence is taken and process is issued Magistrate has no power to recall the order. This case is relied on in the case of Subramaniam Vs. Sethuram[4] and DCM Financial Services Ltd Vs. J.N. Sareen.[5]

**(2) Whether after initial period of 15 days the Magistratehas jurisdiction to authorize Police Custody?** No

The Hon'ble Apex Court examined this issue in Central Bureau of Investigation, Special Investigation New Delhi v. Anupam J. Kulkarni,[6] The Court laid down that in sameoccurrence police custody of an accused after expiry of 15 days cannot be permitted by the Magistrate andthe subsequent detention could only be in judicial custody. The Apex Court also clarified that this limitation shall not apply when the complicity of the accused is disclosed in a different occurrence.

Whether Section 167 (2) Cr.P.0 1973 would beapplied in a case whether a person arrested by other than a Police Officer or a person surrender before a Magistrate? Yes.

In the case of Directorate of Enforcement v. Deepak Mahajan and another[7], the Apex Court laid down that to if a case registered against an offender arrested by the Magistrate, surrendered or brought before the Magistrate, the Magistrate can in exercise of the powers conferred upon him by Section 167 (2) keep such officer under judicial custody.

**(3)** Whether accused has right to default bail in situationwhere charge-sheet has been filed after the prescribed period of 60/90 days and application has been made for release on bail u/s 167(2) Cr.P.C. after filing of charge-sheet ?

In the case of Sanjay Dutt V. State through CBI[8], where the constitution Bench of the Honlble Supreme Court has held that the indefeasible right accruing to the accused is enforceable only prior to the filing of charge-sheet and it does not survive or remain enforceable on the charge-sheet being filed, if already not availed of. Because the custody of the accused after the charge- sheet has been filed is not governed by Section 167 of the Cr.P.C.

**(4)** Whether the period of 60/90 days (as the case maybe) should be reckoned from the date of arrest or from the date of remand ?

This issue examined by the Hon'blApex Court in the case of Chaganti Satyanarayan and others v. State of Andhra Pradesh[9], and held very clear that total period of 90 days or 60 days begins to run only from the date of order of remand and not from the date of arrest of the accused.

**(5)** How to calculate the period of limitation of remand accused?

In the case of State of M.P. V. Rustam[10], examine the issue by the Hon'ble Supreme Court that while calculating the period of limitation, the day accused was remanded to judicial custody should be excluded and the day on which charge-sheet was filed in the Court should beincluded.This principle was also relied in the case of Ravi Prakash Singh @ Arvind Sing Vs. State of Bihar.[11]

**(6)** Where the 60th or 90th day (as the case may be) isholiday and challan filed before the Magistrate in the next working day in such a situation whether prosecution can claim the benefit of holiday? No.

In the case of Ashok Sharma Vs. State of M.P.[12], it was held that prosecution cannot claim the benefit of 90th day being a holiday because challan need not be filed before the Court and it could be filed before the magistrate Therefore, Section 10 (2) of General Clauses Act, 1897 was inapplicable while computing the total period.

**(7)** Whether computing the total period of 60/90 days inwhich period of interim or temporary bail excluded ? Yes.

The period of interim bail or temporary bail of accused

shall be excluded while computing the period of 60/90 days (as the case may be).

**(8)** Applicability of section167 in special cases like NDPSAct,1985, Chhattisgarh Excise Act, Anticorruption Act, 1988 etc.

In the case of Union of India V Thanisharasi[13] Hon'ble Apex Court stated that the provisions of section167 (2) Cr.P.C. are equally be applicable in special cases.

**Analysis and Conclusion :**

Like in the case of all law enforcement in India, the right of the underprivileged always becomes harder to protect. The provisions of section 167(b) Cr.P.C extends to allowing the person bail if there isn't sufficient cause to hold him in custody.

It becomes clear that the while the law provides for safeguards against abuse, it need to be amended to remove all obscurities and contradiction. The magistrates must also see to the background of the victims before passing orders. Section 167 must also be expanded so that remedies must be available for past illegal detentions or arrest even if in the present case custody is legal. Lastly, the executive must also play a role by ensuring that more and more people are aware of their right.

***References* :**


*(1) AIR 1993 SC 1.*
*(2) AIR 2001 SC 1910.*
*(3) AIR 2004 SC 4674.*
*(4) AIR 2004 SC 4711.*
*(5) AIR 2008 SC 2255.*
*(6) AIR 1992 SC 1768.*
*(7) AIR 1994 SC 1775.*
*(8) 1994 5 SCC 410.*
*(9) AIR 1986 SC 2130.*
*(10) 1995 SCC Supp. (3) 221.*
*(11) AIR 2015 SC 1294.*
*(12) 1993 WI 1999.*
*(13) 1995 AIR 2543.*


❁❁


## शोध-पत्र भेजने संबंधी नियम

**( 1 )** शोध-पत्र **1500-1700 शब्दों से अधिक नहीं** होना चाहिए।

**( 2 ) हिन्दी एवं मराठी माध्यम के शोधपत्रों को कृतिदेव 10** (Kruti Dev 010) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

**( 3 ) पंजाबी माध्यम के शोधपत्रों को अनमोल लिपि** (AnmolLipi) या **अमृत बोली** (Amritboli) या **जॉय** (Joy) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजें।

**( 4 )** अंग्रेजी माध्यम के शोधपत्र टाईम्स न्यू रोमन (Times New Roman), एरियल फोंट (Arial) में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' या 'माइक्रोसाफ्ट वर्ड' में भेजे जा सकते हैं।

(4) शोधपत्र की विधि - **( 1 )** शीर्षक **( 2 )** एबस्ट्रेक्ट **( 3 )** की-वर्ड्स **( 5 )** प्रस्तावना/प्रवेश **( 5 )** उद्देश्य **( 6 )** शोध परिकल्पना **( 7 )** शोध प्रविधि एवं क्षेत्र **( 8 )** सांख्यिकीय तकनीक **( 9 )** विवेचन या विश्लेषण **( 10 )** सुझाव **( 11 )** निष्कर्ष एवं **( 12 )** संदर्भ ग्रंथ सूची।

**( 6 )** संदर्भ ग्रंथ सूची इस प्रकार दें -

**For Books :**

(1) Name of Writer, "Name of Book", Publication, Place of Publication, Year of Publication, Page Number/numbers.

**For Journals :**

(2) Name of Writer, "Title of Article", Name of Journal, Volume ....., Issue ....., Page Numbers.

**Web references :**

http://utc.iath.virginia.edu/interpret/exhibits/hill/hill.html

**( 7 ) गुजराती माध्यम** के शोधपत्र **हरेकृष्णा ( Harekrishna ), टेराफोंट वरुण ( Terafont Varun ), टेराफोंट आकाश ( Terafont Aaksah )** में टाईप करवाकर 'पेजमेकर 6.5' में भेजे जा सकते हैं।

**( 8 )** शोधपत्र की साफ्टकॉपी रिसर्च लिंक के ई-मेल आईडी researchlink@yahoo.co.in पर भेजने के बाद हॉर्डकॉपी, शोधपत्र के मौलिक होने के घोषणा पत्र के साथ हस्ताक्षर कर 'रिसर्च लिंक' के कार्यालय को प्रेषित करें।

❁❁

'रिसर्च लिंक' की सदस्यता का शुल्क भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है-

**बैंक :** स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

**ब्रांच :** ओल्ड पलासिया, इन्दौर,

**कोड - SBIN 000 3432**

**खाते का नाम : रिसर्च लिंक,**

**खाता नंबर - 63025612815**

भुगतान की मूल रसीद, शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालयीन पते पर भेजना अनिवार्य है।

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Paper
Research Link - 159, Vol - XVI (4), June - 2017, Page No. 138-139
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

# 'बालार्जुन' नामक उपन्यास में सांस्कृतिक तत्व

*प्रस्तुत शोधपत्र उपन्यासकार डॉ.गणेश खरे के 'बालार्जुन' नामक उपन्यास में सांस्कृतिक तत्वों की पड़ताल करता है। उपन्यास में लक्ष्मणेश्वर मंदिर के उद्घाटन अवसर पर महाराज बालार्जुन ने घोषणा की थी कि 'मेरे शासन काल में हर व्यक्ति सर्व-धर्म-समभाव के आधार पर अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन में पूर्णतः स्वतंत्र होगा। पद, प्रतिष्ठा, जीविका आदि के लिए पुरुष तथा नारी में कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। हर नागरिक सीमित परिवार, सुखी परिवार के न्यार्श को अपने जीवन में क्रियान्वित करेगा।' उनका यह उद्घोष भी उनकी विराट सांस्कृतिक चेतना की ही अभिव्यक्ति करता है। इसी प्रकार उपन्यास में सांस्कृतिक चेतना, चिंता और चिंतन दिखाई देता है। यही लेखक कौशल है कि उन्होंने मूल कहानी के साथ-साथ सांस्कृतिक चेतना को उपन्यास में जीवित रखा है।*

**चुन्नी लाल साहू**

डॉ.गणेश खरे के 'बालार्जुन' नामक उपन्यास का महत्व इतिहास के साथ–साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी है।

श्रीमां के आश्रम में तुरतुरिया अर्थात् एक छोटा सा जल प्रपात निरन्तर तुर–तुर की ध्वनि करता हुआ प्रवाहित होता रहता है, संस्कृत में इसे सुर सरिता कहते हैं, लेख के अनुसार इसी की ऊर्जित तरंगों से कभी आदि कवि वाल्मिकी का आश्रम की प्रतिगुंजत होता था। चिरनंत काल से प्रतिध्वनित होने वाला तुर–तुर का यह अनहद नाद आज भी साधकों को सहस्रार चक्र की गहराइयों तक ले जाता है। यह जीवन की तुरियावस्था का प्रतीक है।[1]

श्रीमां का मंजुश्री की जिज्ञासा प्रवृत्ति को शांत करते हुए यह कहना कि वर्तमान का जितना पट खुलता है, वही अपना है, उसे लेकर मानसिक अन्तर्द्वन्द्व दुर्बलता है।[2] अतः तुम्हें बालार्जुन आदि के विषय में जिज्ञासाकुल होने की आवश्यकता नहीं है, तुमसे जितना कहा जाता है, उतना ही कार्य करो, ये वाक्य भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के प्रतीक है। वे कहती है कि तुम्हें यहां से सूर्योदय के पूर्व श्रीपुर स्वास्तिक बौद्ध विहार की यात्रा हेतु प्रस्थान करना है, इस समय तुम्हारा यही पथ है, यही पाथेय है। श्रीमां के इन शब्दों से मंजुश्री का मन यांत हो गया, अतिथि शाला के ऊपर उड़ती हुई श्वेत पताका को देखकर मंजुश्री को ऐसा लगता है कि यह पताका पूरी तरह शांत, निर्विकार और मौन है, जैसे किसी का आना और जाना इस सृष्टि के लिए आश्रम के लिए पताका के लिए कोई अर्थ ही न रखता हो।[3] ये वाक्य भारतीय सांस्कृतिक जीवन की समरस चेतना की ओर संकेत करते हैं, जो आश्रमों के जन जीवन की प्रमुख विशेषता होती है।

आनंद महाप्रभु एक विश्व पर्यटक है, उनका स्वागत करने के लिए ही मंजुश्री श्रीपुर में आयी है, वह नालंदा विश्वविद्यालय की स्नातिका है। वह बालार्जुन से कहती हे कि महाबौधि सत्व आनंद महाप्रभु का दर्शन मेरे लिए सारनाथ और जैतवन की तरह की पावन, सुखद और स्मरणीय रहेगा। ये स्थान बौद्ध सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक है। जब इनके अश्व सहसा एक जलाशय के पास रुकते हैं, तो मंजुश्री का कथन है कि प्रतापवान, पुरुषार्थी, संकल्पित और आदेशित मनस्वी गतिशील होकर अपने लक्ष्य पर ही रुकते हैं, तो क्या मैं समझू कि हम लोग श्रीपुर पहुँच गये ?[4] मंजुश्री के ये वाक्य उसकी सांस्कृतिक चेतना को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं।

श्रीपुर के पास जलाशय के निकट बैठकर बालार्जुन और मंजुश्री के मध्य श्रीपुर के इतिहास के संबंध में विशेषकर धार्मिक संगीतियों के संबंध में जो चर्चा होती है, वह भारतीय संस्कृतिक का ही अंग है। वहाँ के महाराजाधिराज महानन्न बुद्ध धर्म के अनुयायी थे, पर उन्होने एक संगीति में उस धर्म की आलोचना कर श्रीपुर में एक करोड़ शिवलिंग बनाने का निर्णय लिया था और वहाँ के निवासियों को उसमें दीक्षित होने का आदेश भी दिया था, तब वहाँ बुद्ध धर्म के अनुयायियों की हत्या की गई, इसके बाद दक्षिण के सम्राट विष्णुकुंडिन के राजा माधव वर्मन ने श्रीपुर पर आक्रमण किया और शैव धर्म के अनुयायियों को भी समाप्त कर दिया था। उपन्यास का यह अंश तत्कालीन अस्थिर धार्मिक–सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालता है।

राजमाता वासटा देवी से श्रीमां का कथन है कि तुम्हारे पति एक बोधिवृक्ष की तरह थे, अब तुम्हें उनके अभाव में स्वयं बोधिवृक्ष बनना है, तुम्हें चिंता किस बात की है। तुम्हारा प्रतापी पुत्र बालार्जुन स्वतः राहें बनाएगा, तुम स्वतंत्रता की देवी हो। अतः अब पारस्परिक सद्भाव के सांस्कृतिक अश्वमेध यज्ञ की रचना करो।[5] इन शब्दों ने वासटा देवी के मन मे संत्रास को दूर कर उन्हें जीने का एक सांस्कृतिक मार्ग प्रदान कर दिया। एक दूसरे स्थान पर श्रीमां का कहना है कि वह परम चेतना इस संसार में व्यवस्था, पूर्णता तथा

*सहायक प्राध्यापक एवं शोधार्थी, शासकीय वि.या.ता.स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग ( छत्तीसगढ़ )*

कला के माध्यम से अवतरित होती है इसीलिए हर तरह के सृजन के क्षण ईश्वर की निकटता के क्षण होते हैं। सौंदर्य और आनंद उसकी अनिवार्य परणितियाँ हैं।[6] श्रीमां बालार्जुन और मंजुश्री को आशीर्वाद देती हुई कहती हैं कि तुम दोनों के लिए प्रजा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, तुम्हारा जीवन राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति बनें, तुम्हारा धन दीन दुखियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के काम आए, तुम्हारे निष्काम भाव से किए गए सारे कार्य तुम्हारे स्वतः स्मारक बनें, तुम अपने पूर्वजों की महान परम्परा की रक्षा करो। तुम अपनी ममतामयी माँ के प्राणों की आकुल अर्चना को रुपाकार दो।[7] इन शब्दों में भी भारतीय सांस्कृतिक चेतना का राष्ट्रीय स्वरुप ही अभिव्यक्त होता है।

जैन धर्म के तत्कालीन महान आचार्य विद्या सागर के समक्ष मंजुश्री ने निवेदन किया था कि मैं न्याय से उपार्जित धन का ही उपयोग करुंगी और बालार्जुन ने उन्हें वचन दिया था कि मैं अपने राज्य में सर्व धर्म समभाव रखने का प्रयत्न करुंगा और यथासंभव हर दीन दुखी की सहायता करुंगा। ये शब्द भी सांस्कृतिक चेतना की क्रियाशीलता का संकेत करते हैं।[8] आचार्य आनंद महाप्रभु ने अपने शिष्य दिवाकर से कहा कि तुम अपने कर्मयोगी नाम को आचरण में रुपांतरित करो, उपयुक्त और विषय वातावरण में ही आत्म नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है, तुम अपने संकल्प और सम्यक् आचरण के द्वारा विंध्य प्रदेश में प्रकाश का एक नया स्तंभ गढ़ो, विराट सांस्कृतिक समन्वय का एक ऐसा सूर्य बनो, जिसका प्रकाश रात्रि के अंधकार में भी आस्था को संबल देता रहे। शीघ्रता से कार्य करने वाले तपस्वी ही संसार को हिलाने की सामर्थ्य रखते हैं।[9] आचार्य आनंद महाप्रभु के इस आदेश में भी भारतीय सांस्कृतिक चेतना की महानता व्यक्त हो रही है।

एक स्थान पर राजमाता वासटादेवी बालार्जुन से कहती है कि हृदय की विजय ही मानवता की सर्वोच्च विजय है। तृष्णा और भोग के द्वार कितने ही भव्य क्यों न हों, वे पतन की दिशा की ओर ही खुलते हैं। कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक जीतकर भी मानवता के समक्ष नतमस्तष्क हो गया था। बुद्ध की करुणा, सेवा, ममता और त्याग की विभूतियां ही सांस्कृतिक उपलब्धियों की प्रतीक होती है, तुम्हें इन्हीं का अनुगमन करना है।[10] वासटा देवी का यह संदेश भी सांस्कृतिक चेतना की ही व्यंजना कर रहा है। राजमाता मंजुश्री से भी कहती है कि मैनें हर गाँव, नगर, डगर, सार्वजनिक स्थानों, कुटियों और आश्रमों में खुद जाकर यह देखा था कि रात्रि में कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं सोया, एकांत अंधेरे में किसी निरपराध आंख से पीड़ा का आंसू तो नहीं गिरा, किसी जमीदार या राजसेवक की प्रताड़ना से किसी गरीब की आह तो नहीं निकली, अब यही सारे कार्य तुम्हें भी करने हैं, राज्य की समृद्धि लोक धर्म की इसी मानवीय पीठिका पर स्थित होती है।[11] यही मानवीय पीठिका दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जिसकी अभिव्यक्ति 'बालार्जुन' में व्यापक रुप से हुई है।

जातिगत संकीर्णताओं के कारण श्रीपुर के साम्राज्य में अपराध होते थे, बालार्जुन उन्हें सुनकर दुःखी हैं और वे कहते हैं कि मानव निर्मित कृत्रिम धार्मिक बंधनों के समक्ष मनुष्य आज कितना निरुपाय हो गया है। विजातीय पुरुष से प्रेम करने वाली इस युवती को अपने प्रेम का संबल दो और उसके नवजात शिशु को पिता का दुलार। तुम्हारा यह साहस इस नई सांस्कृतिक क्रांति का मंगलाचरण बनेगा।[12] इन शब्दों में मानवीयता की व्यापक परिभाषा निहित है, जो सांस्कृतिक चेतना की ही प्रतीक है। बालार्जुन ऐसी ही सांस्कृतिक क्रांति करने के लिए संकल्पित है जिसमें किसी प्रकार का जातीय बंधन या मानसिक संकीर्णता न हो, जिसमें हो केवल निर्मल प्रेम–व्यवहार और मानव के प्रति सदाशयता। उन्होंने श्रीमां के समक्ष कहा भी था कि हम चाहते हैं कि हमारा समाज हर तरह की संकीर्णता से ऊपर उठकर दिव्य जीवन की ओर अग्रसर हो, पर जैसा सोचा जाता है, वैसा क्यों नहीं होता मां ?[13] ये पंक्तियाँ भी सांस्कृतिक क्रांति की ओर ही संकेत कर रही है। इस संदर्भ में श्रीमां का कथन है कि जीवन की नई राहें विषाद या चिंता से नहीं, स्वयं चलने से बनती है, चलने से ही पुरानी लीकें मिटती है इसीलिए निष्काम भाव से आगे बढ़ते चलो, यही जीवन का पुरुषार्थ है।[14] लक्ष्मणेश्वर मंदिर के उद्घाटन अवसर पर महाराज बालार्जुन ने यह घोषणा की थी कि मेरे शासन काल में हर व्यक्ति सर्व धर्म समभाव के आधार पर अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन में पूर्णतः स्वतंत्र होगा। पद, प्रतिष्ठा, जीविका आदि के लिए पुरुष तथा नारी में कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। हर नागरिक सीमित परिवार, सुखी परिवार के न्यादर्श को अपने जीवन में क्रियान्वित करेगा।[15] बालार्जुन का यह उद्घोष भी उनकी विराट सांस्कृतिक चेतना की ही अभिव्यक्ति कर रहा है। आचार्य ईशान बालार्जुन से कहते हैं कि आप लोक मंगल के लिए सदा चिंतित रहते हैं, यह तो होना चाहिए पर आज हमारी प्रजा सब तरह के शोषण और बेगार प्रथाओं से मुक्त है, हर श्रमिक को उसके श्रम का उचित पारिश्रमिक मिल रहा है, कृषक अपनी वार्षिक उपज में वृद्धि करके और भी अधिक पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, हमारे न्यायालय में एक भी प्रकरण लंबित नहीं है, हमारे कारागार खाली पड़े हुए है, क्यों ये कम उपलब्धियाँ हैं महाराज?[16] इन पंक्तियों में भी सांस्कृतिक चेतना क्रियाशीलता रुप प्रस्तुत है।

लक्ष्मणेश्वर मंदिर के सामने श्रीराम मंदिर का निर्माण किया गया था, नीलकमलों से सुशोभित क्षीर सागर के तट पर यह मंदिर ऐसा दिखाई देता था, मानो भारतीय संस्कृति ही रुपाकार धारण करके ध्यान मग्न हो गई हो। इन पंक्तियों से भी यही स्पष्ट होता है कि लेखक हर तरफ भारतीय सांस्कृतिक चेतना को ही देखने के लिए संकल्पित है। यहाँ प्रकृति वर्णन में भी उसे यही तथ्य दिखाई दे रहा है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का वर्णन करते हुए भी लेखक का कथन है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वह श्रीराम मंदिर के चरणों में नीलकमलों की पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हो। यहाँ भी वही सांस्कृतिक दृष्टि परिलक्षित हो रही है। इस तरह 'बालार्जुन' में आदि से अंत तक सांस्कृतिक चेतना सर्वत्र देखी जा सकती है।

***संदर्भ :***

*(1) खरे, गणेश : बालार्जुन, पृष्ठ 4.* ***(2)*** *वही, पृष्ठ 7.* ***(3)*** *वही, पृष्ठ 8.* ***(4)*** *वही, पृष्ठ 11.* ***(5)*** *वही, पृष्ठ 21.* ***(6)*** *वही, पृष्ठ 79.* ***(7)*** *वही, पृष्ठ 80.* ***(8)*** *वही, पृष्ठ 118.* ***(9)*** *वही, पृष्ठ 121.* ***(10)*** *वही, पृष्ठ 139.* ***(11)*** *वही, पृष्ठ 141.* ***(12)*** *वही, पृष्ठ 166.* ***(13)*** *वही, पृष्ठ 167.* ***(14)*** *वही, पृष्ठ 169.* ***(15)*** *वही, पृष्ठ 174.* ***(16)*** *वही, पृष्ठ 188.*

❁❁

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Research Paper
Research Link - 159, Vol - XVI (4), June - 2017, Page No. 140-141
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

# अनुसूचित जाति की समस्याओं के निवारण के सम्बंध में गाँधीजी के विचार

*प्रस्तुत शोधपत्र में अनुसूचित जाति की समस्याओं के निवारण के सम्बंध में गाँधीजी के विचारों पर विमर्श किया गया है। उनके विचारों ने न केवल समाज को सोचने के लिए बाध्य किया, अपितु अस्पृश्यता की समस्या को दूर करने का प्रयास भी किया। गाँधीजी अस्पृश्यता की समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। गाँधीजी के उपदेश अछूतपन दूर करने के पक्ष में तो थे ही, बल्कि वे स्वयं भी अछूतों के बीच रहते, खाना खाते और विश्राम करते थे। अनुसूचित जातियों के प्रति अन्यास उन्हें असह्य था। उन्होंने कहा भी है कि, यदि मेरा जन्म फिर से हो तो मैं एक अछूत के रुप में जन्म लेना पसंद करुंगा, ताकि मैं उनके कष्टों, कलेशों एवं अपमानों में भाग ले सकूं और इस परिस्थिति से उन्हें उभार सकूं। गाँधीजी ने अनेक मंदिरों में अनुसूचित जातियों को प्रवेश दिलवाया। सार्वजनिक स्थानों में उन्हें स्थान दिलाया, इतना ही नहीं जब अंग्रेजों ने 'साम्प्रदायिक निर्णय' के अनुसार हरिजनों के लिए 1932 में पृथक चुनाव की घोषणा की, तब उन्होंने आमरण अमशन किया था। जब भी आवश्यकता अनुभव हुई गाँधीजी ने प्राणों की परवाह किये बगैर हरिजनों को हिन्दुओं से पृथक होने से बचाया।*

**डॉ.मनोज परमार* एवं डॉ.विजय डावर****

अस्पृश्यता के विरूद्ध आंदोलन भारतवर्ष के लिए नया नहीं है। अस्पृश्यता के विरूद्ध आंदोलन बुद्ध के समय से चला आ रहा है। गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी जो क्रमशः बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने मानव के प्रति अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध आवाज उठाई थी। सर्वप्रथम हरिजन सुधार आंदोलन दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत में ही निम्न जातियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। दक्षिण भारत में अनुसूचित जाति के सुधार आंदोलन के सूत्रधार श्री ज्योति बा फूले थे, जिन्होंने सर्वप्रथम हरिजनों की दशा सुधारने के लिए प्रयत्न किया तत्पश्चात् ''डॉ.भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में यह आंदोलन और तीव्र हुआ एवं उन्होंने अखिल भारतीय दलित संघ और अखिल भारतीय दलित वर्ग फेडरेशन की स्थापना की।''(1)

1931 की गोलमेज परिषद जो लंदन में हुई थी, उसमें अंग्रेजो ने फूट डालो और राज करो की नीति के अन्तर्गत एक चाल चली, उन्होंने अस्पृश्य जातियों को बहिजाति घोषित करके उन्हें पृथक मतदान की मांग करने को प्रोत्साहित किया, जिसका उद्देश्य निम्न जातियों की दशा सुधारने की भावना नहीं थी, बल्कि देश की जनता की एकता को नष्ट करना था, परन्तु महात्मा गाँधी ने उनकी चाल को समझ लिया एवं उन्होंने पूना में अनशन प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप एक समझौता हुआ, जिसके अनतर्गत सेवक संघ की स्थापना की गई। इस समझौते के अन्तर्गत यह घोषणा की गई कि ''अब किसी को अस्पृश्य न माना जाए और जिन्हें अब तक अस्पृश्य समझा जाता है, उन्हें भी अन्य हिन्दुओं की भॉति समस्त धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार दिए जाएं।''(2)

हरिजन सेवक संघ का उद्देश्य भारत से अस्पृश्यता का कलंक धोना था, इसके आधार गाँधीजी के सिद्धांत थे। हृदय परिवर्तन एवं अहिंसात्मक तरीकों से हरिजनों को उनके अधिकार दिलाना इस संघ का मुख्य कार्य था। इसके कार्यक्रमों में हरिजनों को व्यवसायिक स्थिति के साथ–साथ हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास भी किए गए। हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का कार्यक्रम भी संघ द्वारा किया गया। गरीब हरिजन बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों का वितरण भी किया गया तथा हरिजन बस्तियों की सफाई कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया। संघ के प्रयासों के फलस्वरूप अनेक देवालयों, कुएँ, स्कूल, बगीचे, होटल, आवागमन के साधनों का प्रयोग करने की हरिजनों को छूट दी गई। सरकारी सेवाओं में उन्हें स्थान मिलने लगे। इस संघ की शाखाएँ वर्तमान में देश के हर प्रांत, प्रमुख शहरों, जिलों एवं कस्बों में फैली हुई हैं।

गाँधीजी ने अनुसूचित जाति की समस्या को दूर करने के लिए आंदोलन चलाया, जिसके द्वारा गाँधीजी अछूत समस्या को जड़ से फेंकना चाहते थे और उन्होंने ही अछूतों को हरिजन कहकर सम्बोधित किया। अछूत समस्या को वे स्वराज्य का ही एक अंग मानते थे। उनके अनुसार ''जब तक हम सामाजिक क्षेत्र में हरिजनों एवं स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देगें तथा उनके लिए समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हममें यह

*एसोसिएट प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग), डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर (मध्यप्रदेश) **एसोसिएट प्राध्यापक, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर (मध्यप्रदेश)

शक्ति नहीं आ सकती कि हम स्वराज्य प्राप्त कर सकें। यदि किसी कारणवश हमें स्वराज्य मिल भी गया, तो वह सामाजिक दोषों के रहते टिक नहीं सकेगा। उनका कहना था कि समाज राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास था कि राजनीति लोकतंत्र का जनक सामाजिक लोकतंत्र होता है।''(3)

भारत में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ''1931 में अनुसूचित जाति की संख्या 4 करोड़ 30 लाख थी।'' उस समय भारत में हरिजनों के नेता डॉ.भीमराव अम्बेडकर थे। 1931 में गाँधीजी ने अछूत आंदोलन चलाया, उनका कहना था कि हमें अस्पृश्यता को दूर करना होगा। यह एक सामाजिक प्रश्न है कि जिसे हिन्दुओं का हल करना होगा। साधारणतया लोगों के दिलों में स्वराज्य के साथ–साथ जिस स्वतंत्रता की भावना मिली हुई है वह तो सिर्फ अछूतोद्धार और भिन्न सम्प्रदायों की एकता के बिना असंभव है। स्वराज्य का अर्थ निरन्तर आंतरिक विकास है और जब तक इस विकास के शुभ पौधे का पक्षपात मनोविकार एवं अंधविश्वास की दीवारें घेरे हुए है, वह उग नहीं सकता है।

गाँधीजी का प्रश्न था क्या अस्पृश्यता प्राकृतिक है या कृत्रिम? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा ''अस्पृश्यता कृत्रिम है। लोगों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अस्पृश्यता दैवीय नहीं मानवकृत है। अछूतपन जैसा हम मानते हैं, वह न पूर्व जन्म का फल है और न ही वह ईश्वरकृत है, बल्कि मनुष्यकृत है।''(4)

गाँधीजी के उपदेश अछूतपन दूर करने के पक्ष में तो थे ही, बल्कि वे स्वयं भी अछूतों के बीच रहते, खाना खाते और विश्राम करते थे। अनुसूचित जातियों के प्रति अन्याय उन्हें असहय था। उनके अनुसार ''यदि मेरा जन्म फिर से हो तो मैं एक अछूत के रूप में जन्म लेना पसन्द करूँगा, ताकि मैं उनके कष्टों, कलेशों एवं अपमानों में भाग ले सकूँ और इस परिस्थिति से उन्हें उभार सकूं।''(5)

गाँधीजी ने अनेक मंदिरों में अनुसूचित जातियों को प्रवेश दिलवाया। सार्वजनिक स्थानों में उन्हें स्थान दिलाया इतना ही नहीं, जब अंग्रेजों ने ''साम्प्रदायिक निर्णय'' के अनुसार हरिजनों के लिए 1932 में पृथक चुनाव की घोषणा की, तब उन्होंने आमरण–अनशन कर दिया। कट्टरपंथी हिन्दुओं ने कसम खाई कि हम हरिजनों को पृथक न मानेंगे और निर्वाचन में उन्हें उनके अनुपात से अधिक स्थान देगें। इस प्रकार प्राणों की बाजी लगाकर गाँधीजी ने हरिजनों को हिन्दुओं से पृथक होने से बचाया।

रजनी पामदत्त ने लिखा है कि ''अंग्रेजी सरकार ने अछूतापन के विरूद्ध कोई युद्ध नहीं छेड़ा, यह युद्ध तो राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा छेड़ा गया । दक्षिण भारत में अनेक प्राचीन मंदिर परम्परागत रूप से हरिजनों के लिए बन्द थे।''(6) गाँधीजी की प्रेरणा से उन्हें अनुसूचित जाति के लिए खोल दिए गए तथा वहा से पुलिस को जो अनुसूचित जातियों को प्रवेश के लिए सरकार की ओर से नियुक्त किया गया था को हटा दिया गया।

गाँधीजी ने स्वर्ण हिन्दुओं और अछूतों के बीच विवाह तथा गोद लेने का संबंध स्थापित करने पर बल दिया। अछूतों को ''हरिजन'' का सम्मानपद गाँधीजी ने ही प्रदान किया था। अनुसूचित जाति की स्थिति में सुधार के लिए गाँधीजी ने संभवतः सबसे अधिक प्रयत्न किए हैं।

***संदर्भ :***


*(1) डॉ.भाटिया एवं वर्मा (1990) : भारतीय राजनैतिक विचारक, कमल प्रकाशन, ग्वालियर, पृ.27.*

***(2)** जैन, डॉ.पुखराज (1992) : भारतीय राजनीतिक चिन्तन, साहित्य भवन, आगरा, पृ. 89–91.*

***(3)** पंजाबी, डॉ.बालकृष्ण : डॉ.अम्बेडकर के विचार, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृ. 151.*

***(7)** डी.जी. एवं खान, एस.के. (1969) : विश्व एवं भारत का इतिहास, विजय पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ.69.*

***(5)** कपूर यदुनंदन (1955) : धर्म निरपेक्षता, प्राचीन भारत की प्रजातंत्रात्मक परम्पराएँ, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, पृ. 12.*

***(6)** कु. दुबे रेखा (1991) : अनुसूचित जाति/जनजाति में आरक्षण की व्यवस्था का समाजशास्त्रीय अध्ययन, लघु शोध प्रबंध, 1991, पृ 73.*


☸☸

An International, Registered & Referred Monthly Journal : **Research Paper**
Since March 2002
Research Link - 159, Vol - XVI (4), June - 2017, Page No. 142-145
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

# लिंगानुपात एवं मानवाधिकार - ग्वालियर जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन

*प्रस्तुत शोधपत्र में लिंगानुपात एवं मानवाधिकार का अध्ययन, ग्वालियर जिले के विशेष संदर्भ में किया गया है। मानव अस्तित्व की रचना स्त्री से ही है। स्त्री का अस्तित्व आज हर जगह खतरे में है, फिर चाहे वह कोख हो या सड़क। स्त्री की हत्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रुपों में निरंतर जारी है, जिससे लिंगानुपात की समस्या गहरा रही है और यह मानव जाति के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसी प्रकार के खतरे के स्वर भारत के मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में भी सुनाई दे रहे हैं। ग्वालियर जिले में वर्तमान में गिरते लिंगानुपात की समस्या गंभीर है, जिसने चिंतन के लिए विवश कर दिया है। कुँजी शब्द : लिंगानुपात, जीवन का अधिकार, मानवाधिकार, ग्वालियर जिला।*

**कु.रानू छारी**

**प्रस्तावना :**

किसी भी राज्य की पहचान इस बात से होती है कि वहाँ के नागरिक को कौन–कौन से अधिकार प्राप्त हैं व कितने वे सुरक्षित हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक–आर्थिक व राजनैतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, इनके संरक्षण हेतु न्यायपालिका एवं कई आयोग भी स्थापित किए गए। सिद्धान्ततः सब है किन्तु व्यवहार में स्थिति इसके कुछ विपरीत है। भारत में लिंग भेद निरंतर जारी है। सामाजिक व आर्थिक रूप से वे वंचित वर्ग आज भी स्त्रियाँ आती हैं। वे अधिकांशतः अपने अधिकारों से वंचित हैं। यह आश्चर्य चकित करेगा, किन्तु सत्य है कि स्त्रियां अपने जीवन सम्बंधी अधिकार राईट टू लाईव के लिए संघर्ष कर रही है। जन्म लेने का अधिकार स्पष्ट रूप से मानव अधिकारों के परिसर में है, इसे जीवन के अधिकार की संज्ञा दी जाती है।[1]

अगर मानव युगल सहमति से गर्भ जीव को उत्पन्न करते हैं, तो उस जीव की जीवन प्राप्ति का अधिकार स्वतः प्राकृतिक रूप से मिल जाता है।[2] किसी मानव के अधिकारों का प्रारंभ तो तभी हो जाता है, जब वह भ्रूण के रूप में गर्भ में पनपने लगता है, किंतु जब उसे जीवन से सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया जाए कि वह स्त्री लिंग है, तो यह मानवाधिकारों का प्रत्यक्षता उललंघन है।

भारत निम्न स्त्री लिंगानुपात की श्रेणी में आता है, म.प्र. एवं म.प्र. का जिला ग्वालियर निम्न स्त्री लिंगानुपात श्रेणी में आता है। जिसको सामाजिक संरचनानिरंतर विकृत होती जा रही है। इस प्रकार के लिंगानुपात ने स्त्री के शोषण को और बढ़ावा दिया।

ज्योतिबाफुले जी के अनुसार ''सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में नारी श्रेष्ठ है। अतः स्त्री व पुरूष जन्म से ही स्वतंत्र है और सभी अधिकार समान रूप से भोगने का अवसर मिलना चाहिए।''[3]

बुद्ध ने कहा है कि, ''इस बात का कोई आधार नहीं है कि पुत्र जन्म से पुत्री से अधिक योग्य होता है।'' [4]

उद्देश्य :

(1) जन्म लेने को समान अधिकार की स्थिति को खोजना स्पष्ट करना।

(2) ग्वालियर जिले में लिंगानुपात की समस्या को दृष्टि में रखते हुए इसके कारकों की खोज करना।

(3) लिंगानुपात समस्या को लेकर मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, शासन व प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों का विश्लेषण।

**परिकल्पना :**

(1) जन्म लेने का अधिकार मानवाधिकार है ? यह जीवन का अधिकार है ?

(2) ग्वालियर जिले में लिंगानुपात समान है ?

(3) ग्वालियर जिले में लैंगिक असमानता स्थिति ?

(4) ग्वालियर जिले में लिंगानुपात के प्रति समाज, सरकार व मानवाधिकार आयोग सहज है ?

(5) सरकार के प्रयास एवं जनभागीदारी कितनी सफल है?

**जीवन का अधिकार :**

जीवन का अधिकार मानव अधिकारों के प्राकृतिक अधिकारों (Natural Rights) की श्रेणी में आता है। इन अधिकारों की मांग 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास प्राकृति, कभी न छोड़े जाने वाले मूलभूत (Natural, inglienable and fundamental) अधिकार होते हैं। जिन्हें कोई छू नहीं सकता, चाहे वह राज्य हो या समाज या कोई अन्य व्यक्ति।[5] प्रत्येक मानव को प्राण का अन्तर्निहित अधिकार है। इस अधिकार की विधि द्वारा रक्षा की जाएगी। किसी को मनमाने ढंग से इसके जीवन के अधिकार

*शोधार्थी, के.आर.जी.महाविद्यालय, ग्वालियर ( मध्यप्रदेश )*

से वंचित नहीं किया जाएगा।[6]

प्राण के अधिकार में जीवन के वे सभी पहलू सम्मिलित हैं, जो मानव जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं, जीवन योग्य बनाते हैं या पूर्णता करते हैं।[7]

प्राण के अधिकारी के अन्तर्गत एक ऐसे अधिकार का समावेश है, जिसमें राज्य के साथ–साथ समाज की विधिक बाध्यता परिलक्षित होती है।[8]

इस अधिकार से किसी को मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।[9]

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राण के अधिकार के अंतर्गत मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है।[10]

शोध पद्धति :

शोध पत्र नियमों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध में सैद्धान्तिक, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, समंकों का आंकलन पद्धति का प्रयोग करते हुए शोध को मौलिकता प्रदान करने हेतु प्रयास किया गया है। शोध पत्र में द्वितीयक समंक पद्धति का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र में राष्ट्रीय पुस्तकें, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें, पत्रिकाएँ, मानवाधिकार आयोग के प्रकाशन, राज्य मानव अधिकार प्रकाशन, शासकीय प्रतिवेदन, इंटरनेट, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में उपलब्ध तथ्यों को लिया गया। साथ ही विभिन्न संगोष्ठियों में प्रसिद्ध वक्ताओं एवं नेताओं के भाषणों को भी संग्रहित कर उनका विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर जिले में लिंगानुपात सुधार हेतु जिलाधीश द्वारा चलाए जाने वाली नीतियों एवं स्थानीय स्तर के सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को भी सम्मलित किया गया है।

**लिंगानुपात एक सैद्धान्तिक अध्ययन :**

लिंगानुपात से आशय किसी राष्ट्र की सीमा में कुल जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या पुरूषों के अनुपात में ज्ञात करना। इसमें स्त्रियों की संख्या को प्रति हजार पुरूषों पर ज्ञात किया जाता है। लिंगानुपात में चाहे स्त्रियाँ अधिक हों या पुरूष दोनों ही प्रकार के असंतुलन मानव प्रकृति के लिए एवं समाज के लिए घातक है। जिन राष्ट्रों में स्त्रियों की संख्या कम पुरूषों की संख्या अधिक होती है, उन राष्ट्रों को निम्न स्त्री लिंगानुपात में रखा जाता है और वहाँ स्त्रियाँ अधिक व पुरूष कम उन्हें उच्च स्त्री लिंगानुपात की श्रेणी में रखा जाता है।

Sex-Ratio conventionally deyined as the number of males per 1000 Female in the population of society. More boys than girls are born each year, but the excess number of male at birth is gradually reduced by the higher male mortality rate. The sex Ratio is regarded as an important social indicater it affected marriage rates and (it has been argued) sex rates.[11]

लिंगानुपात एवं भारतीय इतिहास :

इतिहास पर दृष्टि डालें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में कन्या भ्रूण हत्या जैसे साक्ष्य का वर्णन नहीं मिलता, किन्तु कन्या वध अवश्य होते थे, किन्तु ये वध भी सम्पूर्ण भारत में समान रूप से नहीं था। स्त्रियों की भागीदारी चूंकि श्रम में बराबरी की थी। अतः वह उनके लिए उपयोगी थी। राज परिवार होया कृषि, श्रम परिवार स्त्री–पुरूषों का अनुपात बराबर था। बौद्ध ग्रंथों के साक्ष्य अनुसार पुत्र एवं पुत्री में भेद नहीं था, दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता था।[12] पुत्री के जन्म पर प्रसन्नता प्रकट की जाती थी।[13] ब्रह्ममदत्त व काशी राज ने पुत्री प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी।[14] किन्तु जैसे–जैसे स्त्रियों के प्रति असुरक्षा बढ़ी धार्मिक ग्रंथों ने स्त्रियों की स्वतंत्रताएँ छीनी, दहेज वैसी कुप्रथा ने अपना मुख खोला कन्या वध, सती प्रथा प्रारंभ हुई और निम्न स्त्री लिंगानुपात ने जन्म लिया। मध्यकाल में यह चरम पर पहुँचा। मानव समाज ने स्त्री को अनार्थिक व अवांछनीय समझना प्रारंभ किया। जिससे लिंगानुपात की खाई और गहरी होती गई। समाज कट्टरवादियों और रूढ़िवादियों की जंजीरों में जकड़ता चला गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के आने के बाद 1829 में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करते हुए कम्पनी शासन ने इसे अपराध की श्रेणी में डाला।

भारतीय समाज में बढ़ते विवाह खर्च, दहेज, महिलाओं, के प्रति बढ़ती क्रूरता, बलात्कार, हत्याआदि ने महिला के असितत्व को खतरे में डाल दिया। इसी भय के कारण स्त्रियों के जन्म पर स्वयं परिवार भी अपने आप को अपराध बोध अनुभव करता है, जिससे लिंग भेद स्वतः प्रारम्भ हो जाता है। लिंग भेद पर सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा पत्र :

**धारा 1 :** प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा एवं अधिकार क्षेत्र में जन्मतः स्वतंत्र और समान है।

**धारा 2 :** रंग, जाति, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक पृष्ठभूमि, धर्म सम्पत्ति, जन्म अथवा विशिष्ट स्थिति के भेदभाव के बिना अधिकारी होंगे।

**धारा 3 :** प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है।[15]

बीजिंग घोषणा (1995) : घोषणा–17 महिलाओं की स्वतंत्रता एवं अधिकार के हनन के विरूद्ध मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए बालिकाओं तथा महिलाओं की पूर्ण निश्चिंतता को सुरक्षित करना होगा।

**घोषणा 18 :** महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिए लिंग असमानता की रीतियों को हटाना होगा।[16]

थॉमसन रायटर्स फाउंडेशन के सर्वेक्षण में जी–20 देशों में भारत में महिलाएँ सबसे बुरी स्थिति में पाई गई लिंग भेद सूचकांक में भारत 135 देशों में 131 वें स्थान पर है। भारत में लैंगिक भेद एवं महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा ने स्त्री निम्न लिंगानुपात को बढ़ावा दिया और यह लिंगानुपात समस्या अन्य सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा देगा।

मानवाधिकार सर्वव्यापी घोषणा सदस्य देशों के लिए लागू है (भारत में भी) किन्तु इन्हें सशक्त रूप से लागू नहीं करते। सर्वव्यापी घोषणा के अतिरिक्त कुछ संधि भी सदस्य देशों के साथ की गई जैसे– महिलाओं के प्रति भेदभाव उन्मूलन संधि (1981), बाल अधिकारों की रक्षा (1989), उक्त संधि पर हस्ताक्षर तो हुए किन्तु इसे दृढ़ नहीं किया गया।[17]

भारत में लिंगानुपात की स्थिति :

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 1,21,01,93,422 है, जिसमें 62,37,24,248 पुरूष हैं, वहीं 58,64,69,174 महिलाएँ हैं। भारत का लिंगानुपात 940 है, यह कुल औसत है। इसमें दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति अच्छी है। इसमें केरल का लिंगानुपात 1,084, पांडिचेरी 1,038, तमिलनाडु 995, आंध्रप्रदेश 992।

**तालिका 1 : अन्य देशों से भारत के लिंगानुपात की तुलना**

| देश | लिंगानुपात | देश | लिंगानुपात |
|---|---|---|---|
| रूस | 1165 | इथेापिया | 1010 |
| फ्रांस | 1056 | इण्डोनेशिया | 1003 |
| जापान | 1054 | नाईजीरिया | 995 |
| जर्मनी | 1038 | मलेशिया | 970 |
| यू. के. | 1037 | ईरान | 968 |
| ब्राजील़ | 1031 | भारत | 940 |
| साउथ अफ्रीका | 1026 | म.प्र. | 930 |
| यू. एस़. ए | 1026 | चीन | 927 |
| कोरिया गणतंत्र | 1020 | सउदी अरब | 828 |
| ऑस्ट्रेलिया | 1011 | | |

वहीं म.प्र. का पड़ोसी व नवीनतम बना राज्य छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है, जो कि वर्ष 2011 के अनुसार है। वर्ष 2015 के तहत इसमें 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।[18] जबकि म.प्र. का लिंगानुपात 930 है। मध्यप्रदेश की स्थिति भारतीय स्थिति के समकक्ष है। यहाँ भी दक्षिण एवं मालवा मध्यप्रदेश में लिंगानुपात सही है, किन्तु उत्तरी मध्यप्रदेश की स्थिति निम्न लिंगानुपात वाली है।

**ग्वालियर जिला एवं लिंगानुपात :**

ग्वालियर को वीरांगनाओं की भूमि कहा जाता है। यह ऋषि गालव की तपोभूमि एवं महारानी लक्ष्मीबाई तथा वीरांगना झलकारी बाई की बलिदान भूमि है। ग्वालियर का ऊँचा महान दुर्ग इसके

**तालिका 2 : भारत के लिंगानुपात की पड़ोसी देशों से तुलना**

| पड़ोसी देश | लिंगानुपात | पड़ोसी देश | लिंगानुपात |
|---|---|---|---|
| म्यांमार | 1048 | पाकिस्तान | 942 |
| श्रीलंका | 1032 | भारत | 940 |
| नेपाल | 1014 | अफगानिस्तान | 931 |
| बांग्लादेश | 978 | मध्य प्रदेश | 930 |
| भूटान | 897 | | |

**तालिका 3 : म.प्र. में लिंगानुपात**

| शीर्ष 5 जिले | | | निम्न 5 जिले | | |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | 2011 | 2001 | जिला | 2011 | 2001 |
| बालाघाट | 1021 | 1022 | भिण्ड | 838 | 829 |
| अलीराजपुर | 1009 | 995 | मुरैना | 839 | 822 |
| मंडला | 1005 | 996 | ग्वालियर | 862 | 848 |
| डिंडोरी | 1004 | 991 | दतिया | 875 | 856 |
| क्षाबुआ | 989 | 980 | शिवपुरी | 877 | 859 |

अजेय की गाथा गाता है। ग्वालियर म.प्र. के राज्य उत्तर–पश्चिम भाग में स्थित है। 'बाबरनामा' व 'आइने–ए–अकबरी' में ग्वालियर का सुंदर वर्णन किया है। इसका क्षेत्रफल 4,560 वर्ग कि.मी. है। ग्वालियर जिले में 4 तहसीलें हैं, 11 कस्बे और 655 गाँव हैं। इसकी कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 20,32,036 है।[20] ग्वालियर जिला जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में 9वें स्थान पर है।

कुल जनसंख्या में पुरूष 10,90,327 हैं, जबकि महिलाएँ 9,41,709।[21] इससे ज्ञात होता है कि ग्वालियर का लिंगानुपात संतोषजनक नहीं है, अपितु चिंताजनक है। ग्रामीण में कुल जनसंख्या 7,58,244 है, जिसमें पुरूष 4,09,349 हैं, वही महिलाएँ 3,48,895 हैं। शहरी जनसंख्या पर दृष्टि डालें तो कुल जनसंख्या 12,73,793 हैं, जिसमें पुरूष 6,80,978 हैं, वहीं महिलाएँ 5,92,814 हैं, अर्थात् अंतर 88,164 का है।

ग्वालियर जिले का लिंगानुपात 864 है, जिसमें शहरी 852 और ग्रामीण 871 है।[22] लिंगानुपात में ग्वालियर की रैंक म.प्र. में 48वें नम्बर पर है।

**मुख्य कारण :**

(1) शिशु बालिकाओं के वध एवं (2) कन्या भ्रूण हत्या।

**अन्य कारक :**

**सामाजिक कारण :** स्त्री जन्म को अशुभ मानना, पुत्र को वंश वृद्धि का कारक मानना, उत्तराधिकार नियम, दहेज प्रथा का चलन, ऑनर किलिंग, महिलाओं की मौन स्वीकृति।

**तालिका 4 : ग्वालियर संभाग लिंगानुपात**

| ग्वालियर संभाग लिंगानुपात | वर्ष 1971 | वर्ष 1981 | वर्ष 1991 | वर्ष 2001 | वर्ष 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 863 | 859 | 851 | 863 | 881 |
| ग्वालियर संभाग शिशु लिंगानुपात | – | – | वर्ष 1991 | वर्ष 2001 | वर्ष 2011 |
| | – | – | 910 | 896 | 875 |

**तालिका 5**

| जिला ग्वालियर | वर्ष 1991 | वर्ष 2001 | वर्ष 2011 |
|---|---|---|---|
| लिंगानुपात | 831 | 848 | 862 |
| शिशु लिंगानुपात | 888 | 853 | 832 |

**आर्थिक कारण :** सम्पत्ति में हिस्सेदारी का बढ़ना, महिलाओं द्वारा रोजगार या व्यापारिक गतिविधि न करना।

**नवीन तकनीकी एवं वैज्ञानिक कारण :** 1970 के दशक में गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। इसमें तीन पद्धतियाँ हैं :

**(1) एम्नियोसेंटसिस :** इसमें 15–17 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान एम्नियोटिक सैक से एम्नियोटिक लूड निकालकर लिंग परीक्षण किया जाता है।[21]

(2) कोरियोनिक पिली वायोप्सी : इसमें 6–13 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के चारों तरफ के ऊतकों अर्थात् कोरियोन की लंबी कोशिकाओं को लेकर उसका परीक्षण किया जाता है।[22]

(3) अल्ट्रासाउंड : इसमें 10 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान ध्वनि तरंगों की सहायता से भ्रूण की दृश्य छवि स्क्रीन पर ली जाती है। हालांकि यह विकृत शिशु की अवस्था को जानने के लिए ली जाती है, किंतु इसका सबसे अधिक प्रयोग लिंग परीक्षण के लिए ही हुआ।[23]

(4) एरिक्सन तकनीक : इस पद्धति के जरिए X और Y गुणसूत्र शुक्राणुओं (क्रेमोसोम स्पर्म) को अलग किया जाता है और Y गुणसूत्र शुक्राणुओं को महिला के गर्भाशय में पहुँचाया जाता है, जहाँ Y गुणसूत्र शुक्राणुओं द्वारा अंडाणु को निशेचित किए जाने से लड़के का जन्म होता है।[24]

**मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग की भूमिका :**

मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग एवं ग्वालियर मानवाधिकार आयोग शिकायत प्रकोष्ठ कई प्रकार की संगोष्ठी, कैम्पकिंग एवं मध्यप्रदेश माध्यम प्रकाशन से कई प्रचार सामग्री भी जारी करता है। आयोग कई विषयों पर स्वयं संज्ञान भी लेता है। एक संज्ञान में कहा गया कि लिंगानुपात तेजी से गिर रहा है, घटनाओं को गंभीरता से लें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश में अभी तक केवल 39 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। ये सभी प्रकरण लम्बित हैं, किसी का भी निराकरण नहीं हुआ।[32]

ग्वालियर जिला प्रशासन के प्रयास :

(1) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित। **(2)** लाडली लक्ष्मी योजना, मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित। **(3)** पायलट प्रोजेक्ट– जी.आर. मेडिकल कॉलेज, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकासविभाग की संयुक्त भागीदारी से संचालित हो रहा है। जिसके लिए ग्वालियर जिले के कलेक्टर डॉ. संजय गोयल को वर्श 2016 का बेटी–बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों को बचाने एवं लिंगानुपात अंतर कम करने में सराहनीय। **(4)** प्रचार– प्रसार के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना। **(5)** महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सक्रिय भूमिका निभाना। **(6)** हमारी लाडली नाम से वेबसाइट भी प्रारंभ की गई। जिसमें सक्रिय ट्रेकर है, जो चिकित्सालयों से सम्बद्ध है।[25]

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः लिंगानुपात की समस्या मानव के प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। यदि एक तरफ यह महिला के अस्तित्व का प्रश्न है, तो दूसरी तरफ सम्पूर्ण मानव जाति के अधिकार का भी हनन है, क्योंकि स्त्री ही मानव जाति के जन्म का आधार है। मध्यप्रदेश यद्यपि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात से लिंगानुपात की दृष्टि में उच्च स्थिति में है, किन्तु छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से पिछड़ी स्थिति में है। वहीं ग्वालियर की स्थिति देखें तो ग्वालियर प्रदेश में सिर्फ भिण्ड और मुरैना से ही अच्छी स्थिति में है और प्रदेश के 48वें पायदान पर है। शिशु लिंगानुपात में निरन्तर गिरती स्थिति चिन्तन के लिए विवश करती है। इस सन्दर्भ में ग्वालियर में चूंकि महिलाएँ आर्थिक रूप से उपयोगी एवं कार्य में भागीदारी नहीं होती, जैसे–केरल एवं छत्तीसगढ़। इस कारण स्त्री जन्म को यहाँ गम्भीरता से नहीं लिया जाता। जस्टिस वाय.के. सबरवाल (माननीय सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश) के कथन सही प्रतीत होते हैं कि ''लोग बेटियों पर निवेश करने के सन्दर्भ में समझते हैं कि यह उस भांति होगा, जैसे– पड़ोसी के बगीचे में पानी देना।

***<u>सन्दर्भ</u> :***


*(1) कॉलपतना, आर कैम्पस सी.ब्रुइस ई. (2005) : ह्यूमन राइट्स वींग एट बर्थ।* ***(2)*** *Devi, Dr. (1989) : The Right to be Born Med Law 7(S) : 475-92.* ***(3)*** *यदुलाल, डॉ. कुसुम : दलित शिक्षा का परिप्रेक्ष्य (2006) कल्पज पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 17.* ***(4)*** *अम्बेडकर 1987.* ***(5)*** *जैन एम.पी. (1998) : राजनीति के सिद्धान्त, गीता प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 8.* ***(6)*** *त्रिपाठी डॉ. टी.पी. (2013) : मानव अधिकार, इलाहबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन, पृ. 30 एवं नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा अनुच्छेद 6(1).* ***(7)*** *मेनका गाँधी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए.आई.आर. 1978 सु. को. 597.* ***(8)*** *एम.एस.डी. किरन पाशा बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (1990), एस.सी.सी. 328.* ***(9)*** *नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का अनुच्छेद 6.* ***(10)*** *डॉ. त्रिपाठी, टी.वी. : मानव अधिकार, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स, पृ.31.* ***(11)*** *A Dicitionary of Sociology (1998), Oxford University Press, 1998.* ***(12)*** *लियोन प्रियर एण्ड मिसेज डेविड्स 1884–1904.* ***(13)*** *थामस डेविड्स (1917) : बुद्धि रूट इण्डिया, पृ.13.* ***(14)*** *बी.फास बॉल (1877) : जातक, लंदन।* ***(15)*** *मल्होत्रा ममता (2013) : महिला एवं मानवाधिकार, ज्ञान गंगा प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 21.* ***(16)*** *वही, पृ. 34.* ***(17)*** *टाइम्स ऑफ इण्डिया, 13 फरवरी 1979, डॉ. टी.पी. त्रिपाठी, पृ. 126.* ***(18)*** *मन्होत्रा ममता (2013) : महिला एवं मानवाधिकार, ज्ञान गंगा प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 37.* ***(19)*** *दैनिक भास्कर, 7 जुलाई 2015, छ.ग. प्रकाशन।* ***(20)*** *तालिका–1, तालिका–2, तालिका–3, तालिका–4, तालिका–5, Censusindia.gov.in/2011-prove-result/data-files/mp/06gender%20composition.pdf, p. 107,100,112,113,11* ***(21)*** *निगम नन्द्रेश (2005) : नई दिशाएँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रकाशन, पृ. 153.* ***(22)*** *वही।* ***(23)*** *वही।* ***(24)*** *निगम नन्द्रेश (2005) : नई दिशाएँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रकाशन, पृ. 154.* ***(25)*** *म.प्र. मानवाधिकार आयोग प्रकाशन, म.प्र. माध्यम, कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप।* ***(26)*** *www.hamariladli.org*